

पंडित दीनदयाल उपाध्याय
राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार के अधीन)



Pt. Deendayal Upadhyaya National Institute for
Persons with Physical Disabilities (Divyangjan)
Department of Empowerment of Persons with
Disabilities (Divyangjan)
(Under Ministry of Social Justice & Empowerment,
Government of India)

4 विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई
दिल्ली-110002

4 Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110002

पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से आठ माह पूर्व संस्थान प्रमुख द्वारा प्राप्त किये जाने वाले ब्यौरे

1. नाम :
2. (क) जन्मतिथि :
(ख) सेवानिवृत्ति की तिथि :
3. दो नमूना हस्ताक्षर (एक अलग शीट पर दिये जाने हैं)
जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से
सत्यापित किया जाना है :
4. पत्नी अथवा पति के साथ पासपोर्ट साइज के
संयुक्त फोटोग्राफ की तीन प्रतियां
(कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाना है) :
5. लंबाई तथा अन्य व्यक्तिगत पहचान चिह्न दर्शित
करने वाली दो पर्चियां जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी
द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित किया गया हो :
6. वर्तमान पता :
7. सेवानिवृत्ति के बाद का पता :
8. राजकोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वेतन
एवं लेखा कार्यालय का नाम जिसके जरिये पेंशन
का आहरण किया जाना है :
9. प्रपत्र 3 में परिवार का ब्यौरा :

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पदनाम

प्रपत्र 1

चिकित्सा परीक्षा के बिना पेंशन के एक अंश के सारांशीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र
सेवा में,
.....
.....
.....

विषय : चिकित्सा परीक्षा के बिना पेंशन का सारांशीकरण
महोदय,

मैं केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का सारांशीकरण) नियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार नीचे दिये गये विवरण के अनुसार मेरी पेंशन के एक अंश के सारांशीकरण का इच्छुक हूँ। आवश्यक विवरण निम्नानुसार हैं :-

1. नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता का नाम (पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. की महिलाकर्मि होने की स्थिति में पति का नाम भी) :
3. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम :
4. उस कार्यालय/विभाग/पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. का नाम जहां नियोजित हैं :
5. जन्मतिथि (ईसवी सन के अनुसार) :
6. सेवानिवृत्ति की तिथि :
7. पेंशन का स्तर जिस पर सेवानिवृत्ति मिल रही है :
8. प्राधिकृत पेंशन राशि (यदि पेंशन राशि अंतिम रूप से प्राधिकृत नहीं हुई हो, तो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 64 के अन्तर्गत अनुमोदित अस्थाई पेंशन राशि) :
9. * पेंशन का अंश जिसका सारांशीकरण प्रस्तावित है :

10. लेखाधिकारी का पदनाम जिसने पेंशन को प्राधिकृत किया

- तथा पेंशन भुगतान आदेश, यदि जारी हुआ हो,
की संख्या एवं दिनांक :
11. पेंशन के भुगतान हेतु संवितरण प्राधिकारी
(क) नाम एवं पूर्ण पता
(ख) (i) राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा-डाक के पूरे पते सहित
(ii) उस बैंक खाते की संख्या जिसमें मासिक पेंशन
प्रतिमाह जमा की जानी है :
(ग) पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. के लेखाधिकारी

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

डाक का पता

भाग III

लेखाधिकारी को अग्रेषित (यहां पता एवं पदनाम लिखें)

.....
.....
.....
.....
.....

इस अभ्युक्ति के साथ कि -

- (i) आवेदक द्वारा भाग I में दिये गये विवरण सत्यापित कर लिये गये हैं और वे सही हैं।
- (ii) आवेदक चिकित्सा परीक्षा के बिना सारांशीकृत की गई पेंशन का अंश प्राप्त करने हेतु योग्य है।
- (iii) वर्तमान में लागू सारणी के संदर्भ में निर्दिष्ट पेंशन का सारांशीकृत मूल्यरुपये है।
- (IV) सारांशीकरण के बाद अवशिष्ट पेंशन की राशिरुपये है।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन का सारांशीकृत मूल्य के भुगतान को प्राधिकृत करने हेतु आगे की कार्रवाई केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का सारांशीकरण) नियम, 1980 के नियम 15 में बताये गये अनुसार किया जाए।
3. प्रपत्र के भाग I की पावती भाग II में दी गई है जिसे आवेदक कोको अलग से अग्रेषित कर दिया गया है।
4. पेंशन का सारांशीकृत मूल्य लेखा शीर्ष के नामे योग्य है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

कार्यालय प्रमुख

भाग IV

पावती

श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....

.....

चिकित्सा परीक्षा के बिना पेंशन के अंश का सारांशीकरण के लिए प्रपत्र I का भाग I में आवेदन प्राप्त किया।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

कार्यालय प्रमुख

प्रपत्र 5

पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से आठ माह पूर्व संस्थान प्रमुख द्वारा प्राप्त किये जाने वाले ब्यौरे

1. नाम
2. (क) जन्मतिथि :
(ख) सेवानिवृत्ति की तिथि :
3. दो नमूना हस्ताक्षर (एक अलग शीट पर दिये जाने हैं) जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित किया जाना है :

4. पत्नी अथवा पति के साथ पासपोर्ट साइज के संयुक्त फोटोग्राफ की तीन प्रतियां (कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाना है)
5. लंबाई तथा अन्य व्यक्तिगत पहचान चिह्न दर्शित करने वाली दो पर्चियां जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित किया गया हो :
6. वर्तमान पता :
7. सेवानिवृत्ति के बाद का पता :
8. राजकोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वेतन एवं लेखा कार्यालय का नाम जिसके जरिये पेंशन का आहरण किया जाना है :
9. प्रपत्र 3 में परिवार का ब्यौरा :

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पदनाम

- ❖ बायें हाथ के अंगूठे और उंगलियों की छाप वाली दो पर्चियां और यदि व्यक्ति अपना नाम लिखना नहीं जानता तो छाप को सत्यापित किया जाना होगा। यदि सरकारी कर्मचारी शारीरिक दिव्यांगता के कारण बायें हाथ के अंगूठे और उंगलियों की छाप देने में असमर्थ हो तो वह दायें हाथ के अंगूठे और उंगलियों की छाप दे सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी के दोनों हाथ नहीं हो, तो वह अपने पैर के अंगूठे की छाप दे सकता है। छाप को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना है।
- ❖ पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की दो प्रतियां। ये केवल तब दी जानी है जब :-
 - (i) यदि पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. का कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के शासनाधीन हो तथा अविवाहित या विधवा अथवा विधुर हो।
 - (ii) यदि पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. का कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 55 के शासनाधीन हो।
- ❖ यदि पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. के कर्मचारी के लिए अपनी पत्नी या पति के साथ फोटोग्राफ जमा कराना संभव न हो तो अलग-अलग फोटोग्राफ भी दिया जा सकता है। फोटोग्राफ कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किये जाने होंगे।
- ❖ यदि संभव हो तो, कुछ विशिष्ट चिह्न बताये जाने होंगे जिनकी संख्या कम से कम दो होगी।
- ❖ पते में हुए किसी परिवर्तन की सूचना कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।
- ❖ केवल तब लागू होगा जब पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. के कर्मचारी पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 लागू होंगे।

पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं कर्मचारी का नाम :

पदनाम :

जन्मतिथि :

दिनांक. को मेरे परिवार के सदस्यों के ब्यौरे

क्र.सं.	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्मतिथि	कर्मचारी से संबंध	कार्यालय प्रमुख के प्रथमाक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

मैं एतद्वारा वचन देता हूं कि मैं उपरोक्त ब्यौरों में कुछ जोड़ने या बदलने की सूचना लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय प्रमुख को देते हुए इन्हें अद्यतित रखूंगा।

स्थान :

दिनांक : पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. के कर्मचारी के हस्ताक्षर

.....

उपरोक्त प्रयोजनार्थ परिवार का तात्पर्य है

(क) पत्नी, पुरुष सरकारी कर्मचारी की स्थिति में;

(ख) पति, महिला सरकारी कर्मचारी की स्थिति में;

(ग) पुत्र, अठारह वर्ष से कम आयु के, और इक्कीस वर्ष से कम आयु वाली अविवाहित पुत्रियां; इनमें सेवानिवृत्ति से पूर्व दत्तक लिया गया पुत्र या पुत्री भी शामिल है।

नोट :- पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति-पत्नी शामिल हैं।

प्रपत्र सं. 7

पेंशन और ग्रैच्युटी के निर्धारण हेतु प्रपत्र

(यदि लेखा इकाई के भिन्न सर्किल में भुगतान प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है तो डुप्लीकेट में भेजा जाना है)

भाग ।

1. पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. के कर्मचारी का नाम :

2. पिता का नाम (महिला सरकारी कर्मचारी होने पर पति का नाम भी):
3. जन्म तिथि (ईसवी सन् में) :
4. धर्म :
5. स्थायी निवास का पता, ग्राम, कस्बे, जिले
और राज्य को दर्शित करते हुए :
6. स्थापन के नाम सहित वर्तमान या अंतिम नियुक्ति :
(i) स्थायी :
(ii) कार्यवाहक :
7. सेवा प्रारंभ होने की तिथि :
8. सेवा समाप्त होने की तिथि :
9. (i) सेना सेवा की कुल अवधि जिसके लिए पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकृत हुई है :
(ii) सेना सेवा के लिए प्राप्त हुई पेंशन/ग्रेच्युटी की राशि और प्रकार :
10. भूतपूर्व सिविल सेवा हेतु प्राप्त किसी पेंशन/ग्रेच्युटी की राशि और प्रकार :
11. नियोजन के क्रम के अनुसार सरकार का नाम
जिसके अधीन सेवाएं दी गई (वर्ष/माह/दिन) :
12. लागू पेंशन का वर्ग :
13. वह तिथि जब निम्नलिखित कार्रवाई प्रारंभ की गई -
(i) नियम 57 में निर्दिष्ट संपदा निदेशालय द्वारा जारी 'नो डिमांड सर्टिफिकेट' प्राप्त करना;
(ii) सेवा तथा पारिश्रमिक का मूल्यांकन करना जैसा कि नियम 59 में निर्धारित है ; और
(iii) नियम 73(1) में निर्धारित पीडीयूएनआईपीपीडी के आवास के आवंटन से संबंधित बकाया के अतिरिक्त

संस्थान की अन्य बकायाओं का मूल्यांकन करना।

14. सेवा पुस्तिका में लोपों, कमियों और दोषों का ब्यौरा जिन्हें नियम 59 (81)(ख)(पप) के अंतर्गत अनदेखा किया गया है।
15. विशेषक सेवा की कुल अवधि (खंडित अवधियां को जोड़ने के प्रयोजनार्थ एक माह को तीस दिनों का समझा जाएगा)
16. गैर विशेषक सेवा की अवधियां -
- (i) नियम 28 के अन्तर्गत माफ की गई सेवा में रुकावट : से तक
- (ii) असाधारण अवकाश जो पेंशन के लिए क्वालिफाइंग नहीं है
- (iii) निलंबन की अवधि जिसे क्वालिफाइंग नहीं माना जाता :
- (iv) अन्य कोई सेवा जिसे क्वालिफाइंग नहीं माना जाता :
- योग

17. गैरच्युटी की गणना हेतु पारिश्रमिक :

18. औसत पारिश्रमिक :

पिछले दस माह की सेवा के दौरान आहरित पारिश्रमिक

धारित पद	से	तक	वेतन	व्यक्तिगत वेतन या विशेष वेतन	औसत पारिश्रमिक

19. तिथि जब सरकारी कर्मचारी से प्रपत्र 5 प्राप्त किया गया (सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से आठ माह पूर्व प्राप्त किया जाना है) :

20. (i) प्रस्तावित पेंशन :

(ii) प्रस्तावित ग्रेडेड राहत :

21. प्रस्तावित मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी :

22. तिथि जिससे पेंशन प्रारंभ होनी है :

23. यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तो अस्थायी पेंशन की प्रस्तावित राशि :

(i) यदि पिछले दस माह में ऐसी अवधि भी शामिल है जिसे औसत पारिश्रमिक की गणना करने के

लिए नहीं लिया जा सकता तो उससे पहले की
समान अवधि ली जाएगी।

(ii) औसत पारिश्रमिक की गणना प्रत्येक माह समाविष्ट
दिनों की वास्तविक संख्या पर आधारित होगी।

24. ग्रैच्युटी से वसूली योग्य पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. के बकायाओं के ब्यौरे :-

(i) पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. आवास आवंटन के लिए अनुज्ञप्ति
शुल्क (नियम 72 के उप नियम (2), (3) तथा (4) देखें) :

(ii) नियम 73 में संदर्भित बकाया

25. क्या निम्नलिखित के लिए मनोनयन किया गया है :-

(i) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी

(ii) परिवार पेंशन, 1950, यदि लागू होने योग्य हों।

26. क्या परिवार पेंशन नियम, 1964 पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. के
कर्मचारी पर लागू होते हैं, यदि हां तो -

(i) परिवार पेंशन की गणना हेतु पारिश्रमिक

(ii) यदि सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती है तो पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं.
के कर्मचारी के परिवार को देय परिवार पेंशन की राशि

(क) 65 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्वरुपये

(ख) 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बादरुपये

(iii) परिवार के पूर्ण व अद्यतित ब्यौरे, जैसे प्रपत्र 3 में दिये गये हैं :-

क्र.सं.	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. के कर्मचारी के साथ संबंध
1	2	3	4
1.			

2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

27. लंबाई
28. पहचान के चिह्न
29. पेंशन के भुगतान का स्थान (सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक या भुगतान एवं लेखा कार्यालय)
30. लेखा शीर्ष जिसमें से पेंशन और ग्रेच्युटी नामे योग्य होगी।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

प्रपत्र 7

भाग - II

खंड -I

1. अर्हक सेवा की कुल अवधि जिसे अधिवर्षिता प्रदान करने के लिए स्वीकार किया गया है या सेवानिवृत्ति या मुआवजा या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और उपदान, अस्वीकृति के कारणों के साथ, यदि कोई हो (इस फॉर्म के भाग-प् में इंगित अस्वीकृति के अलावा)।
2. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्त या अमान्य या क्षतिपूर्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की राशि या ग्रेच्युटी जिसे स्वीकार किया गया हो।
3. जिस तारीख से सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्त या अमान्य, मुआवजा या अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकार्य है।
4. खाते का शीर्ष जिस पर सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्त या अमान्य या मुआवजा या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या ग्रेच्युटी प्रभार्य है।
5. सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में परिवार के पात्र सदस्यों को देय होने वाली पारिवारिक पेंशन 1964 की राशि

खंड -II

1 पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. के कर्मचारी का नाम

- 2 पेंशन या ग्रेच्युटी का वर्ग
- 3 अधिकृत पेंशन की राशि
- 4 प्राधिकृत उपदान की राशि
- 5 पेंशन शुरू होने की तारीख
- 6 सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर परिवार पेंशन की राशि :-
 - (i) यदि मृत्यु 65 वर्ष की आयु से पहले होती है
 - (ii) यदि मृत्यु 65 वर्ष की आयु के बाद होती है
- 7 पेंशन पर अनुमेय श्रेणीबद्ध राहत की राशि
8. इसके भुगतान को अधिकृत करने से पहले ग्रेच्युटी से वसूली योग्य पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. की बकाया राशि
9. पं.दी.उ.रा.शा.दि.सं. की गैर निर्धारित बकाया राशि के समायोजन हेतु नकद जमा की राशि या धारित उपदान की राशि
10. जिस तारीख को लेखा अधिकारी को पेंशन के कागजात प्राप्त हुए